

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३६] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी २८, १९७८/माघ ८, १८९९

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 28, 1978/MAGHA 8, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate pagimg is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधीक्षक

नई दिल्ली, २८ जनवरी, १९७८

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. ४६(अ) —केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) की धारा २३ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकीहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व

और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 97-सीमाशुल्क तारीख 25 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन और करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "तांबा अपशिष्ट और कतरनों" शब्दों के स्थान पर "तांबा अपशिष्ट और कतरनों तथा बिना पिटा तांबा" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 20/फा. एस. 51/77 टी आर यू (सी. शु.)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 97-Customs, dated the 25th June, 1977, namely :—

In the said notification, for the words "other than copper waste and scrap", the words "other than copper waste and scrap and unwrought copper (refined or not)", shall be substituted.

[No. 20/F. No. S. 51/77-TRU(Cus)]

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 47(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 74 01/02 के अधीन आने वाले बिना पिटे तांबे (परिशुद्ध या अपरिशुद्ध) को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती हैं जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो मूल्य के 70 प्रतिशत से अधिक हैं।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1978 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. फा. सं. 21 एस. 51/77 टी आर यू (सी. शु.)]

CUSTOMS

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts unwrought copper (refined or not, falling under Heading No. 74.01/02 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 70 per cent. ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of April, 1978.

[No. 21/F. No. S. 51/77-TRU(Cus)]

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 48(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं. 123-सीमा-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नीलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 169 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नीलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"179. सं. 21-सीमा-शुल्क, तारीख 28-1-1978."

[सं. 22 का. सं. एस. 51/77 टी आर यू (सी. शु.)]

CUSTOMS

G.S.R. 48(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 123-Customs, dated the 1st July, 1977, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 169 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

"170. No. 21-Customs, dated the 28th January 1978."

[No. 22/F. No. S. 51/77-TRU(Cus)]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 49(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 26क की उपमद (1) और (1क) के अधीन आने वाले तांबा और तांबे की मिश्रधातुओं की विनिर्दिष्टियों को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो प्रति मीटरी टन तीन हजार रुपये से अधिक हों।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1978 तक जिसमें यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी।

[17/78/सी. ई.-फा. सं. 5/51/77-सी. आर. यू. (सी. शु.)]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts copper and copper alloys, falling under sub-items (1) and (1a) of Item No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of three thousand rupees per metric tonne.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of April, 1978.

[17/78/CE-F. No. 5/51/77-TRU(Cus)]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 50(अ.).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 26 क की उपमद (2) के अधीन आने वाले तांबा और तांबे की मिश्रधातुओं को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है, जो प्रति मीटरी टन तीन हजार सात सौ रुपये से अधिक हों।

2. यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1978 तक जिसमें यह तारीख भी है, प्रवृत्त रहेगी।

[18/78-सी. ई.—फा. सं. 5/51/77-सी. आर. यू. (सी. शु.)]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 50(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts manufactures of copper and copper alloys, falling under sub-item (2) of Item

No. 26A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of three thousand and seven hundred rupees per metric tonne.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of April, 1978.

[18/78-CE-F. No. 5/51/77-TRU (Cus)]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 51(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क निदम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/65-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965 में निम्नीलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (ख) में, “छह हजार रुपये प्रति मीटरी टन” शब्दों के स्थान पर तीन हजार चार सौ रुपये प्रति मीटरी टन” शब्द रखे जाएंगे।

[19/78-सी. ई.—फा. सं. 5/51/77-टी. आर. यू. (सीशु)]

आर. के चन्द्रा, अवर सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 31/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965, namely :—

In the said notification, in clause (b), for the words “six thousand rupees per metric tonne”, the words “three thousand and four hundred rupees per metric tonne” shall be substituted.

R. K. CHANDRA, Under Secy.

[19/78-CE—F. No. 5/51/77-TRU (Cus)]

